

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 121/2025**

**IN THE MATTER OF:**  
RAKESH BANSAL

...APPLICANT

**VERSUS**

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

**INDEX**

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5, SUPERINTENDENT OF POLICE, BULANSAHAR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE NOTICE DATED 19.02.2025 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE SHOW CAUSE NOTICE DATED 13.05.2025 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF THE RECOMMENDATION/ INSPECTION REPORT DATED 29.05.2025 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF THE CLOSURE ORDER DATED	

	06.06.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF LETTER DATED 13.06.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	A COPY OF THE GENERAL DIARY ENTRY IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	
8.	A COPY OF THE CLOSURE REPORT DATED 19.06.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-7	

*THROUGH COUNSEL*



BHANWAR PAL SINGH JADON  
COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 5  
[bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com) | 6375115224

**DATE:29.07.2025**  
**PLACE:NOIDA**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 121/2025

IN THE MATTER OF:  
RAKESH BANSAL

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5, SUPERINTENDENT  
OF POLICE, BULANSAHAR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED  
27.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, Dinesh Kumar Singh aged about 56 years, S/o Shri Chandra Shekhar Singh, posted as Senior Superintendent of Police, District Bulandshahr do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, Dinesh Kumar Singh am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

2. That in the present Original Application, the Applicant has raised a grievance against the illegal operation of the brick kiln-M/s. R. S. Brick



Field located at Gata Nos. 516, 517, 518 and 520 in Village Dulhera, Tehsil and Pargana Sikandrabad, District Bulandshahr, Uttar Pradesh.

3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 27.03.2025 directed the Deponent to file their reply. The operative paragraph of the aforementioned order is stated below:

*"...7. Respondents are directed to file their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing..."*


4. That in compliance with the order dated 19.04.2024 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in *Civil Appeal Diary No. 18213/2021, NCR Brick*

*Kiln Association vs. CPCB and Others*, an inspection was conducted on

19.02.2025 of the brick kiln in question, namely M/s R.S. Brick Field,

situated on Gata Nos. 516, 517, 518, and 520, Village Dulhera, Tehsil and

Pargana Sikandrabad, District Bulandshahr, Uttar Pradesh. Upon inspection,




it was found that the said brick kiln was operating without obtaining the mandatory consents under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Consequently, the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) issued a notice dated 19.02.2025, directing the immediate closure of operations of the said brick kiln.

A copy of the notice dated 19.02.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

5. That no response was submitted by the brick kiln in question in reference to the notice dated 19.02.2025 to the Regional Office, UPPCB, Bulandshahar. Furthermore, upon re-inspection conducted on 25.02.2025, the brick kiln was again found to be operating illegally without obtaining consent under the Water and Air Acts. Therefore, a show cause notice dated 13.05.2025 was issued by the UPPCB.

A copy of the show cause notice dated 13.05.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**




That since no response was submitted by the concerned brick kiln to the show cause notice dated 13.05.2025 issued under Section 31A of the Air Act

by the UPPCB, another inspection was carried out on 29.05.2025. During the inspection, the brick kiln in question was again found to be operating illegally without obtaining consent under the Water and Air Acts. Hence, in confirmation of the show cause notice dated 13.05.2025, and for a total of 100 days of violation (from 19.02.2025 to 29.05.2025), environmental compensation amounting to ₹6,25,000/- @ ₹6,250/- per day was recommended and a report was submitted by the RO, UPPCB to the State Board Headquarters, Lucknow vide letter dated 29.05.2025.

A copy of the recommendation/inspection report dated 29.05.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3**.

7. That based on the above report and recommendation for confirmation of the show cause notice, the State Board Headquarters, Lucknow issued a closure order dated 06.06.2025 and imposed environmental compensation of ₹6,25,000/- on the brick kiln *at the rate of EC-50x1x250x.5x1.0=6,250/- per day* as per the formula mentioned in the guideline issued for environmental compensation by the Central Pollution Control Board, Delhi

and using the powers conferred under Section-31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.



A copy of the closure order dated 06.06.2025 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-4.

8. That in order to ensure compliance with the closure order dated 06.06.2025, the District Magistrate, Bulandshahr constituted a committee vide letter dated 13.06.2025, comprising the following members:

- a) Sub-Divisional Magistrate, Sikandrabad, District Bulandshahr
- b) Circle Officer, Sikandrabad, District Bulandshahr
- c) Additional Chief Officer, District Panchayat, Bulandshahr
- d) Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bulandshahr
- e) District Mining Officer, Bulandshahr
- f) Station House Officer, Sikandrabad, Bulandshahr

A copy of letter dated 13.06.2025 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-5.

9. That in compliance with the above closure order dated 06.06.2025, the committee so constituted by the District Magistrate, Bulandshahr, jointly visited the site on 19.06.2025. **The concerned brick kiln operations were halted by pouring water with the help of a fire engine from the Fire Department. The induced draft fan was sealed and locked. The key of**




the lock has been handed over to the Station House Officer, Sikandrabad, for ensuring the continued sealing/closure of the brick kiln. A copy of the closure order was also served upon the representative of the brick kiln at the site. The compliance report regarding the closure of the brick kiln was submitted by the Regional Office, Bulandshahr to the State Board Headquarters, Lucknow via email under letter dated 19.06.2025. General diary entry was made of the closure of the brick kiln in question.

A copy of the general diary entry is annexed herewith and marked as ANNEXURE-6.

A copy of the closure report dated 19.06.2025 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-7.

10. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

11. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape with a horizontal line underneath.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Bulandshahr on this 29<sup>th</sup> day of July, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 11 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

  
DEPONENT



S.S.P. Bulandshahr Dinesh Kumar Singh  
CERTIFIED THAT  
WHO IS IDENTIFIED BY ..... ON  
DT. 29/07/25 CAME TO ME AND FOUND TRUE AND  
ACCEPTED AFTER READING ABOVE CONTENT. FEE....  
2  
Deepak Singh (Adv.)  
NOTARY, BULANDSHAHR (U.P.)  
29/07/25

संदर्भ : 1479/06-19/25  
सेवा में, श्री अनन्द कुमार शर्मा  
मै० न्याय प्रणाली अधिकारी  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
बुलन्दशहर

दिनांक : 19/02/25

विषय: मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील डायरी सं०-18213/2021 एन०सी०आर० ब्रिक क्लिन एसोसिएशन बनाम सेन्ट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल एवं अन्य में दिनांक 19.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आच्छादित ईट भट्टों के संचालन की अवधि निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार ईट भट्टों का संचालन 01 मार्च से 30 जून तक मान्य किया गया है। आज दिनांक 19.2.25 को निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आप द्वारा ईट भट्टे का संचालन राज्य बोर्ड से बिना जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये प्रारम्भ कर दिया गया है, जो कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन है। तत्कम में निर्देशित किया जाता है कि तत्काल ईट भट्टे का संचालन बन्द करते हुये अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, अन्यथा की दशा में ईट भट्टे के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अवहेलना के दृष्टिगत सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ईट भट्टे के स्वयं का होगा।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को जिलाधिकारी महोदया द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ईट भट्टा संचालन के सम्बन्ध में जारी आदेश के अनुपालन में जारी पत्रांक-1475/ओजी-19/2025 दिनांक 19.02.2025 के अनुक्रम में डिफाल्टर ईट भट्टे के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, मा०-2491 जिनपद बुलन्दशहर।
2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन विभाग, बुलन्दशहर।
3. क्षेत्राधिकारी पुलिस, मा०-3214 जिनपद बुलन्दशहर।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।
5. ज्वाइन्ट कमिशनर, वाणिज्यिक कर विभाग, बुलन्दशहर।
6. जिला खान अधिकारी, बुलन्दशहर।

*(Signature)*

Kejandhu Prasad Sharma

Dt. 19/2/2025

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पंजीकृत

पत्रांक: 423142 / सी-4 / ईट-1446 / का0ब0नो0 / 2025.

दिनांक: 13-5-25

मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 चौधरी त्रिक फील्ड),  
ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद,  
जनपद-बुलन्दशहर।

मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 चौधरी त्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर ईट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक-1475 / ओ०जी०-19/25, दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन०सी०आर० क्षेत्रान्तर्गत नियत अवधि से पूर्व जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के निर्देशानुसार डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर सूचना व दैनिक समाचार पत्रों में सूचना दिनांक 20.02.2025 प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त पारित आदेश के अनुपालन में मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 चौधरी त्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, बुलन्दशहर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.02.2025 को ईट भट्टा प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की उपस्थिति में किया गया। आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। प्रश्नगत स्थल पर पूर्व में मै0 चौधरी त्रिक फील्ड, ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, राज्य बोर्ड द्वारा पत्रांक: 74073, दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति जल एवं पत्रांक: 74072 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति वायु दिनांक 31.07.2024 तक निर्गत की गयी थी। वर्तमान में ईट भट्टा संचालक द्वारा ईट भट्टे का नाम परिवर्तित कर बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्टे का संचालन कर लिया गया है, जो कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-309/2022 रामभरोसे बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश 12.02.2024 का भी स्पष्ट उल्लंघन है तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का भी स्पष्ट उल्लंघन है। संदर्भित ईट भट्टे को पूर्व में भी निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आच्छादित ईट भट्टे के निर्धारित संचालन अवधि से पूर्व ईट भट्टा संचालित पाये जाने पर क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या-1479 दिनांक 19.02.2025 के माध्यम से फुकाई कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 को ईट भट्टे में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर के द्वारा पत्रांक-1512/वीआर-20/25, दिनांक 25.02.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 चौधरी त्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर के विरुद्ध राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किये जाने एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक: 1475/ओ०जी०-19/25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन०सी०आर० क्षेत्रान्तर्गत नियत अवधि से पूर्व ईट भट्टे संचालित न किये हेतु जारी 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत वन्दी आदेश जारी किये जाने एवं पूर्व निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से सुधारात्मक कार्यवाही तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र  $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$  के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, बुलन्दशहर से प्राप्त आख्या/संस्तुति दिनांक 25.02.2025 के अनुक्रम में मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 चौधरी ग्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 चौधरी ग्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द करा दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 चौधरी ग्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त यह कि क्यों न ईट भट्टा मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 चौधरी ग्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में बर्णित सूत्र  $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$  के अनुसार रू0 6.250/- की प्रतिदिन की दर से निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 से समस्या का समाधान किये जाने तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायें।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्टे को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर निर्धारित समयवधि में ईट भट्टे की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

दीपक कुमार शर्मा (एन.एम)

14-5-2025

जारी किया

7409227318



193  
क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 05732-233879  
फैक्स : 05732-233879

ई-मेल : [robulandshahar@uppcb.in](mailto:robulandshahar@uppcb.in)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

**Uttar Pradesh Pollution Control Board**

F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर-203001

संदर्भ : 1512/BR-20/25

दिनांक : 25/02/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ।

**विषय:-** मै० आर०एस० ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हैरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर के विरुद्ध बन्दी आदेश एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.02.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार प्रश्नगत स्थल पर पूर्व में मै० चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-दुल्हैरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर को राज्य बोर्ड द्वारा पत्रांक:74073/यू०पी०पी०सी०बी० /बुलन्दशहर (यू०पी०पी०सी०बी०आर०ओ०)/सी०टी०ओ०/वाटर/बुलन्दशहर /2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति जल एवं पत्रांक:74072 /यू०पी०पी०पी०सी०बी०/बुलन्दशहर (यू०पी०पी०पी०सी०बी०आर०ओ०)/सी०टी०ओ० /वायु/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति वायु दिनांक 31.07.2024 तक निर्गत की गयी थी। वर्तमान में ईट भट्टा संचालक द्वारा ईट भट्टे का नाम परिवर्तित कर बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्टे का संचालन कर लिया गया है, जो कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-309/2022 रामभरोसे बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश 12.02.2024 का भी स्पष्ट उल्लंघन है तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का भी स्पष्ट उल्लंघन है।

संदर्भित ईट भट्टे को पूर्व में भी निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आच्छादित ईट भट्टे के निर्धारित संचालन अवधि से पूर्व ईट भट्टा संचालित पाये जाने पर इस कार्यालय के पत्र संख्या-1479/ओ०जी०-19/25 दिनांक 19.02.2025 के माध्यम से फुकाई कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 को ईट भट्टे में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टे के विरुद्ध राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किये जाने एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक:1475/ओ०जी०-19/25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन०सी०आर० क्षेत्रान्तर्गत नियत अवधि से पूर्व ईट भट्टे संचालित न किये हेतु जारी आदेशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उद्योग के विरुद्ध वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने एवं पूर्व निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से सुधारात्मक कार्यवाही तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाईन में वर्णित सूत्र  $EC=50 \times 1 \times 500 \times .5 \times 1.0 = 12500/-$  प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

**संलग्नक-उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

(उत्सव शर्मा)


क्षेत्रीय अधिकारी

o/c  
25/02/25

मा0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील डायरी नं0-18213/2021 एन0सी0आर0 ब्रिक क्लिन एसोसिएशन बनाम सेन्ट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल एवं अन्य के अनुपालन में किये गये औचक निरीक्षण के सम्बन्ध में आख्या।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक:1475/ओ0जी0-19/25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन0सी0आर0 क्षेत्रान्तर्गत नियम अवधि से पूर्व ईट भट्टे संचालित न किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के निर्देशानुसार डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर सूचना व दैनिक समाचार पत्रों में सूचना दिनांक 20.02.2025 प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त पारित आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टा स्थल (28.369106, 77.702346) का निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. संदर्भित ईट भट्टे से प्राप्त अभिलेखानुसार ईट भट्टे में मुख्य कच्चे माल के रूप में मिट्टी व पानी का प्रयोग कर ईट की पथाई के उपरान्त भट्टे में फुकाई कर लगभग-20000 ईट प्रतिदिन उत्पादन किया जाता है।
2. संदर्भित ईट भट्टे में ईंधन के जलने से उत्सर्जित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु जिग-जैग पद्धति (हाईड्रॉपट तकनीकी) एवं भूतल से लगभग-30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है।
3. संदर्भित ईट भट्टे में जल का प्रयोग घरेलू एवं मिट्टी की पथाई में प्रयोग किया जाता है।
4. संदर्भित ईट भट्टे पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु प्लेटफार्म, सीढ़ी, पोर्ट होल स्थापित पाये गये।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार प्रश्नगत स्थल पर पूर्व में मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर को राज्य बोर्ड द्वारा पत्रांक:74073/यू0पी0पी0सी0बी0/बुलन्दशहर(यू0पी0पी0सी0बी0आर0ओ0)/सी0टी0ओ0/वाटर/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति जल एवं पत्रांक:74072/यू0पी0पी0सी0बी0/बुलन्दशहर(यू0पी0पी0सी0बी0आर0ओ0)/सी0टी0ओ0/वायु/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति वायु दिनांक 31.07.2024 तक निर्गत की गयी थी। वर्तमान में ईट भट्टा संचालक द्वारा ईट भट्टे का नाम परिवर्तित कर बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्टे का संचालन कर लिया गया है, जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-309/2022 रामभरोसे बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश 12.02.2024 का भी स्पष्ट उल्लंघन है तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का भी स्पष्ट उल्लंघन है।
6. अग्रेतर निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थल पर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा संचालित मै0 आर0एस0 ब्रिक फील्ड में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।
7. संदर्भित ईट भट्टे को पूर्व में भी निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आच्छादित ईट भट्टे के निर्धारित संचालन अवधि से पूर्व ईट भट्टा संचालित पाये जाने पर इस कार्यालय के पत्र संख्या-1479/ओ0जी0-19/25 दिनांक 19.02.2025 के माध्यम से फुकाई कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 को ईट भट्टे में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।
8. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।



उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टे के विरुद्ध राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किये जाने एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक:1475/ओ0जी0-19/25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन0सी0आर0 क्षेत्रान्तर्गत नियत अवधि से पूर्व ईट भट्टे संचालित न किये हेतु जारी आदेशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उद्योग के विरुद्ध वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने एवं पूर्व निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से सुधारात्मक कार्यवाही तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र  $EC=50 \times 1 \times 500 \times 5 \times 1.0 = 12500$  प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

*[Signature]*

वैजा0अधि0/क्षेत्रीय अधिकारी

*[Signature]*

*[Signature]*  
(रवि रजन)

अवर अभियन्ता

*[Signature]*

(एस0पी0 सिंह)

अवर अभियन्ता



क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 05732-233879

फैक्स : 05732-233879

ई-मेल : robulandshahar@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

Uttar Pradesh Pollution Control Board  
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर-203001

ANNEXURE-3

संदर्भ : 156/BR-20/25  
सेवा में,

दिनांक : 29/05/25

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-4),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय: मै० आर०एस० ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-121/2025 Rakesh Bansal Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 27.03.2025 एवं ईट भट्टे को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ सं०-एच०२८१४२/सी-४/ईट-१४४६/का०१०१००/२०२५ दिनांक 13.05.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 29.05.2025 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूलरूप में पत्र के साथ संलग्न है।

अतः निरीक्षण आख्या के आधार पर ईट भट्टे के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.05.2025 में उल्लेखित निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से ईट भट्टे के अद्यतन निरीक्षण दिनांक 29.05.2025 तक कुल उल्लघनकारी दिन 100 के सापेक्ष रू० 6250/- प्रतिदिन के अनुसार रू० 6,25,000/- मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने व ईट भट्टे को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.05.2025 की पुष्टि की जाती है। अद्यतन आख्या आपके अवनोकनार्थ संस्तुति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)




क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम-दुलहैरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-121/2025 Rakesh Bansal Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 27.03.2025 एवं ईट भट्टे को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ सं०-एच28142/सी-4/ईट-1446/का०ब०नो०/2025 दिनांक 13.05.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 29.05.2025 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. ईट भट्टा मै० आर०एस० ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० चौधरी ब्रिक फील्ड) के नाम से ग्राम-दुलहैरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर से स्थापित है।
2. ईट भट्टे में मुख्य कच्चे माल के रूप में मिट्टी व पानी का प्रयोग कर ईट की पथाई के उपरान्त भट्टे में फुकाई कर लगभग-20,000 ईट प्रतिदिन की दर से उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थल पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा संचालित मै० आर०एस० ब्रिक फील्ड में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।
4. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् है:-



5. ईट भट्टे में ईंधन के जलने से उत्सर्जित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु जिग-जैग पद्धति (हाईड्रॉपट तकनीकी) एवं भूतल से लगभग-30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है। ईट भट्टे में ईंधन के रूप में तूरी का प्रयोग किया जाता पाया गया।
6. ईट भट्टे में जल का प्रयोग घरेलू एवं मिट्टी की पथाई में प्रयोग किया जाता है।
7. ईट भट्टे पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल के अतिरिक्त मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 18213/2021 एनसीआर ब्रिक विलन एसोसियेशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक 13.05.2022 को पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में ईट भट्टे की चिमनी पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल पाया गया तथा प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी।
8. ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ जल/वायु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक:1475/ओ०जी०-19/25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन०सी०आर० क्षेत्रान्तर्गत नियत अवधि से पूर्व ईट भट्टे संचालित न किये हेतु जारी आदेशों का उल्लंघन किये जाने को वृष्टिगत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ सं०-एच28142/सी-4/ईट-1446/का०ब०नो०/2025 दिनांक 13.05.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है। उक्त कारण बताओ नोटिस को ईट भट्टे प्रतिनिधि श्री दीपक कुमार शर्मा (मुनीम) को दिनांक 14.05.2025 को प्राप्त कराया गया था, परन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में अनुपालन आख्या/प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जिसकी प्राप्ति की प्रति संलग्न है।

9. कार्यालय अभिलेखानुसार प्रश्नगत स्थल पर पूर्व में मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर के नाम से राज्य बोर्ड द्वारा पत्रांक: 74073/यू0पी0पी0सी0बी0/बुलन्दशहर(यू.पी.पी.सी.वी.आर.ओ.)/सी.टी.ओ./वाटर/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति जल एवं पत्रांक: 74072/यू0पी0पी0सी0बी0/बुलन्दशहर(यू.पी.पी.सी.बी.आर.ओ.)/सी.टी.ओ./वायु/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति वायु दिनांक 31.07.2024 तक निर्गत की गयी थी। वर्तमान में ईट भट्टा संचालक द्वारा ईट भट्टे का नाम परिवर्तित कर बिना राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्टे का संचालन कर लिया गया है, जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-309/2022 रामभरोसे बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश 12.02.2024 का भी स्पष्ट उल्लंघन है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का भी स्पष्ट उल्लंघन है।


ईट भट्टे को जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित कि क्यों न ईट भट्टे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र  $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$  के अनुसार रू0 6250/- प्रतिदिन की दर से निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 से समस्या का समाधान किये जाने तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये, के क्रम में ईट भट्टे के विरुद्ध ईट भट्टे के प्रथम निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से ईट भट्टे के अद्यतन दिनांक 29.05.2025 तक राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का उल्लंघन करते हुये ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत कुल 100 उल्लंघन दिवस हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में प्रतिउत्तर प्रस्तुत न किये जाने एवं ईट भट्टे का संचालन राज्य बोर्ड से बिना जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के सं0-एच28142/सी-4/ईट-1446/का0ब0नो0/2025 दिनांक 13.05.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की जाती है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र  $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$  के अनुसार  $EC=50 \times 100 \times 250 \times 0.5 \times 1.0=6,25,000/-$  मात्र/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(रवि रजने)  
अवर अभियन्ता

  
(सतेन्द्र प्रताप सिंह)  
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक : H28980

पंजीकृत

दिनांक : 06-05-25

मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड),  
ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद,  
जनपद-बुलन्दशहर।

यह कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच28142/सी-4/ईट-1446/का0ब0नो0/2025, दिनांक 13.05.2025 के माध्यम से मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अंतर्गत बन्दी आदेश की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर के अधिकारियों द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 29.05.2025 को करते हुए आख्या पत्र दिनांक 29.05.2025 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्टे में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया। ईट भट्टे में ईंधन के रूप में तूरी का प्रयोग किया जाता पाया गया। ईट भट्टे पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल के अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-18213/2021 एनसीआर ब्रिक क्लिन एसोसियेशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक 13.05.2022 को पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में ईट भट्टे की चिमनी पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल पाया गया तथा प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी। ईट भट्टा राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये संचालित किया जा रहा है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए का उल्लंघन है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर द्वारा पत्रांक-156/बीआर-20/25, दिनांक 29.05.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.05.2025 की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 29.05.2025 के अनुक्रम में प्रश्नगत ईट भट्टा मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र  $EC=50 \times 1 \times 250 \times 5 \times 1.0 = 6,250/-$  मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 19.02.2025 से दिनांक 29.05.2025 तक कुल 100 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 6,25,000/- (रुपया छः लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम-दुल्हेरा, तहसील-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6,25,000/- (रुपया छः लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFees3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Air pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, बुलन्दशहर एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

### सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद-बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ईट भट्टे की खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाये।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद-बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि ईट भट्टे को उनके द्वारा ईट पथाई एवं फुकाई हेतु निर्गत लाइसेंस, अनुमति आदि निरस्त करते हुए भट्टे को अपने स्तर से भी बन्द करवाने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत ईट भट्टे द्वारा संचालित ईट पथाई एवं फुकाई कार्य को तत्काल रुकवाये जाने हेतु जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अन्दर मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
वेबसाइट-[www.uppcb.up.gov.in](http://www.uppcb.up.gov.in)

T.C.-12V., Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
E-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
Web Site: [www.uppcb.up.gov.in](http://www.uppcb.up.gov.in)

पत्रांक: 204/06-268 बन्दी आदेश / 2025

दिनांक 13/06/25

विषय-मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हेरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर को राज्य बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

1. उप जिलाधिकारी, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।
2. क्षेत्राधिकारी (पुलिस), सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।
5. जिला खान अधिकारी, बुलन्दशहर।
6. थाना प्रभारी, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।

उपरोक्त विषयक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के अनुक्रम में प्रश्नगत ईट भट्टे द्वारा संचालित ईट पथाई एवं फुकाई कार्य को तत्काल रूकवाये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	ईट भट्टे का नाम व पता	तहसील	बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश पत्र का विवरण
1	मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हेरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर	सिकन्दराबाद	एच28980 / सी-4 / सा-II-1446 / बन्दी आदेश-पर्या0क्ष0 / 2025 दिनांक 06.06.2025

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के आदेशों के अनुक्रम में उपरोक्त ईट भट्टे द्वारा संचालित ईट पथाई एवं फुकाई कार्य को तत्काल रूकवाये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है-

1. उप जिलाधिकारी, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।
2. क्षेत्राधिकारी (पुलिस), सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।
5. जिला खान अधिकारी, बुलन्दशहर।
6. थाना प्रभारी, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।

उपरोक्त वर्णित ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अनुपालन आख्या से मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

( श्रुति )  
जिलाधिकारी  
बुलन्दशहर

**General Diary Details**  
**सामान्य दैनिकी विवरण**

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): सिकन्दाबाद

District/Unit (जिला/इकाई): बुलन्दशहर

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 042

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 19/06/2025 13:53 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): संपत्ति अधिग्रहण

4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): PS Sikandrabad

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ़

6. Subject (विषय):

वापसी उ0नि0 व दाखिला एक अदद चाबी इन्ड्यूज्ड ड्राफ्ट की सम्बन्धित ईट उद्योग आर0एस ग्राम दुल्हेरा....

7. G.D. Brief

वापसी उ0नि0 व दाखिला एक अदद चाबी इन्ड्यूज्ड ड्राफ्ट की सम्बन्धित ईट उद्योग आर0एस ग्राम दुल्हेरा.....

इस समय उ0नि0 विपुल कुमार रवाना शुदा रफता रफत रो0आम तारीखी इमोराजा मे बाद देख रेख शान्ति व्यवस्था रोक थाम जुर्मजरायम चैकिंग संदिग्द वाहन व्यक्ति आदि से वापस आये एक अदद चाबी बन्द लिफाफे मे सील सर्वे मोहर मय मय किता फर्द हिन्दी टाईपशुदा दाखिल की दाखिला चाबी को है0मौ0 262 रविन्द कुमार को सुपुर्द किया गया। दाखिला फर्द की नकल हस्व जैल है ..... मै० आर०एस० ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हेरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्टे की सीलिंग सम्बन्धी आख्या। मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा ईट भट्टे को जारी बन्दी आदेश संदर्भ सं०-28980/सी-4/सा-11-1446/बन्दी आदेश-पर्या० क्ष०/2025 दिनांक 06.06.2025 के अनुपालनार्थ जिलाधिकारी महोदया के आदेश पत्रांक-204/ओजी-268/बन्दी आदेश/2025 दिनांक 13.06.2025 के अनुपालन में मै० आर०एस० ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हेरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के संचालन को रोके जाने हेतु गठित समिति द्वारा आज दिनांक 19/6/20... को अग्निशमन विभाग के दमकल वाहन द्वारा पानी डलवाकर बन्द कराया गया एवं इन्ड्यूज्ड ड्राफ्ट फैन को ताला लगाकर सील किया गया। ईट भट्टे की बन्दी सुनिश्चता बनाये रखने हेतु सीलिंग ताले की चाबी थाना, सिकन्दराबाद के उपस्थित अधिकारी को सुपुर्द की गई। ईट भट्टे पर ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा फोन न० 9149053994 उपस्थित थे। एसडी अग्नेजी अपठित एसडी अग्नेजी अपठित एसडी अग्नेजी अपठित Si 19/6/25 एसडी अग्नेजी अपठित एसडी अग्नेजी अपठित 19/06/25 M.O. ईट भट्टा प्रतिनिधि एसडी अग्नेजी अपठित 19/6/25 एसडी अग्नेजी 19/06/25 SDM(SKD) .....बाद दाखिला मुल फर्द मय नकल रफत के उ0नि0 विपुल कुमार के सुपुर्द किया गया।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
----------------	----------------	---------------------

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 19/06/2025

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PS Sikandrabad

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PS Sikandrabad

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454403171

दूरभाष : 05732-233879

फैक्स : 05732-233879

ई-मेल : robulandshahar@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

Uttar Pradesh Pollution Control Board

F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर-203001

संदर्भ :  
सेवा में,

296/06-268/25

दिनांक : 19/06/25

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-4)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय: मै० आर०एस० ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठे की सीलिंग सम्बन्धी आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं०-28980/सी-4/सा-II-1446/बन्दी आदेश-पर्या० ६०/2025 दिनांक 06.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मै० आर०एस० ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालनार्थ जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर द्वारा आदेश पत्रांक-204/ओजी-268/बन्दी आदेश/2025 दिनांक 13.06.2025 के माध्यम से गठित समिति द्वारा संयुक्त रूप से आज दिनांक 19.06.2025 को प्रश्नगत ईट भट्ठे के संचालन को अग्निशमन विभाग के दमकल वाहन द्वारा पम्पी डलवाकर बन्द कराया गया एवं इन्ड्यूज्ड ड्राफ्ट फैन को ताला लगाकर सील किया गया तथा ईट भट्ठे की सीलिंग/बन्दी सुनिश्चता बनाये रखने हेतु ताले की चाबी थाना प्रभारी, सिकन्दराबाद को सुपुर्द की गई। साथ ही संयुक्त समिति द्वारा मौके पर बन्दी आदेश की प्रति भी ईट भट्ठा प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी।

अतः ईट भट्ठे की बन्दी सम्बन्धी अनुपालन आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(श्याम शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हेरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठे की सीलिंग सम्बन्धी आख्या।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा ईट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश संदर्भ सं0-28980/सी-4/सा-II-1446/बन्दी आदेश-पर्या0 क्ष0/2025 दिनांक 06.06.2025 के अनुपालनार्थ जिलाधिकारी महोदया के आदेश पत्रांक-204/ओजी-268/बन्दी आदेश/2025 दिनांक 13.06.2025 के अनुपालन में मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हेरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के संचालन को रोके जाने हेतु गठित समिति द्वारा आज दिनांक 19/06/25 को अग्निशमन विभाग के दमकल वाहन द्वारा पानी डलवाकर बन्द कराया गया एवं इन्ड्यूज्ड ड्राफ्ट फैन को ताला लगाकर सील किया गया। ईट भट्ठे की बन्दी सुनिश्चता बनाये रखने हेतु सीलिंग ताले की चाबी थाना, सिकन्दराबाद के उपस्थित अधिकारी को सुपुर्द की गई। ईट भट्ठे पर ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री ~~राजेश साहू~~ फोन नं0-9149053994 उपस्थित थे।



  
267




19/06/2025

Vipul kr (S2)  
19/06/25




H A  
19/06/2025

Banshwar  
19/06/25  
7220

  
19/06/25  
SPM(S&D)

ईट भट्ठा प्रतिनिधि

  
19/06/25

